

प्रपत्र - 1 - नियम 8 (1)
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैशन/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैशन/
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैशन/वृद्धावस्था पैशन/विकलांगता राहत भत्ता/
विधवा परित्यक्ता/एकल नारी पैशन/कष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता के लिये

प्रार्थना - पत्र

प्रार्थी का
पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ

13. प्रार्थी की शिक्षा

14. क्या प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की सहायता पैशन सरकार से मिलती है ? यदि है, तो उसका नाम, मासिक राशि / स्त्रोत ।

15. सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :
- (क) परिवार के नाम कुल भूमि
 - (ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों का बचत :
 - खाते में जमा राशि का विवरण ।
 - (ग) भूमि से वार्षिक आय
 - (घ) अन्य साधनों से वार्षिक आय
 - (ङ) कुल वार्षिक आय
16. प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण :
- (क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है
 - (ख) खाता संख्या
17. प्रार्थी का आधार नम्बर :
18. दो व्यक्तियों के नाम पूरे पते जो प्रार्थी को भली-भांति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें
- (1) नाम व पूरा पता
 - (2) नाम व पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

घोषणा

मैं	सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी	ग्राम
डाकघर	तहसील	जिला
ज्ञान से अभ्युष्टि पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूं कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही हैं । इनमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई बात छिपाई गई है । मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि इससे पूर्व मैं कोई पैशान प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूं ।	सत्यानिष्ठा लेकर अपने	

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

- नोट:-**
- यदि प्रार्थी विकलांग है तो जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी स्थाई प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करें ।
 - यदि प्रार्थी कुछ रोग से पीड़ित है तो जिला कुछ रोग निवारण अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
 - यदि प्रार्थी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी है तो पंचायत सचिव का प्रमाण-पत्र तथा तीन रुपये की अस्टाम पेपर पर शपथ-पत्र सम्बन्धित दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न करें ।

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/.....
 गांव/शहर डाकघर पिन जिला
 हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है ।

आगे प्रमाणित किया जाता है :-

- (1) प्रार्थी की आयु पंचायत/शहरी निकाय के रिकॉर्ड अनुसार वर्ष (शब्दों में) है ।
- (2) प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य है तथा बी०पी०एल० संख्या है ।
- (3) प्रार्थी विकलांगता से स्थाई/अस्थाई रूप से ग्रस्त है तथा विकलांगता प्रतिशत जिला चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है । (प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है) ।
- (4) प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुर्णविवाह नहीं किया है ।
- (5) प्रार्थी को पति ने छोड़ दिया है (तलाकनामा/शपथ-पत्र की प्रति संलग्न है) ।
- (6) प्रार्थी एकल नारी है (शपथ-पत्र संलग्न है) ।
- (7) प्रार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन है । वह किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निगमों/बोर्ड इत्यादि में कार्यरत नहीं है (शपथ-पत्र संलग्न है) ।
- (8) प्रार्थी का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या दिनांक क्रमांक पर चयन किया गया है ।
- (9) प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय रुपए (अंकों में) रुपए (शब्दों में) है ।
- (10) प्रार्थी की व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय रुपए (अंकों में) रुपए (शब्दों में) है ।
- (11) प्रार्थी (जो अपंग तथा अव्यस्क है) के माता-पिता/अभिभावक की समस्त साधनों से वार्षिक आय रुपये (अंकों में) रुपये (शब्दों में) है ।
- (12) क्रमांक (1), (2), (9), (10) तथा (11) के सम्बन्ध में मैंने जांच सम्बन्धित पंचायत/राजस्व विभाग से की है तथा इन तथ्यों सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अनुबन्ध "क" तथा "ख" पर संलग्न है ।

उपरोक्त तथ्यों की जांच मैंने स्वयं पंचायत रिकॉर्ड तथा हल्का पटवारी से की है । रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रार्थी पैशन/भत्ता के पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत/रद्द करने हेतु सिफारिश की जाती है ।

तहसील कल्याण अधिकारी ।
 (मोहर व तिथि सहित)

नोट:-जो लागू न हो उसे काट दिया जाए तथा वास्तविक तथ्य रिपोर्ट किए जाएं ।

अनुबन्ध "क"

सम्बन्धित पंचायतों से जारी प्रमाण—पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
गांव/शहर डाकघर पिन तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है ।
पंचायत रिकॉर्ड अनुसार श्री/श्रीमती की आयु/जन्म तिथि है तथा उसके निम्नलिखित परिवार* के सदस्य हैं, जिनकी पंचायत रिकॉर्ड अनुसार आयु/जन्म तिथि/व्यवसाय का विवरण उनके नाम के सम्मुख है :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	आयु/जन्म तिथि	नाता	कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय
				जिए (४)
				जिए (५)
				जिए (६)
				जिए (७)
				जिए (८)
				जिए (९)

आगे प्रमाणित किया जाता है कि :-

2. श्री / श्रीमति गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार से है, जिसकी बी0पी0एल0 संख्या..... है ।

3. श्री / श्रीमति तथा उनके परिवार के अन्य कोई भी सदस्य किसी भी पैशन / भत्ता के धारक नहीं हैं ।

4. श्रीमति के पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है तथा उसके उपरान्त पर्नीविवाह नहीं किया है ॥**

दिनांक

हस्ताक्षर पंचायत सचिव

मोहर सहित।

* "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर में अलग भी दर्शाए गए हों। परिवार की परिधि में आएं।

**जो लाग न हो उसे काट दिया जाए ।

अनुबन्ध "ख"

वार्षिक आय प्रमाण-पत्र
(राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा)

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
गांव/शहर डाकघर पिन.....
तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है।
2. आगे प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति तथा परिवार* के सदस्यों
के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि व उससे होने वाली आय उनके नाम के समुख दर्शाई गई
है :—

क्रमांक	प्रार्थी तथा परिवार के सदस्य का नाम	प्रार्थी से नाता	कुल भूमि	भूमि से वार्षिक आय	अन्य साधनों से वार्षिक आय

क्रमांक

हस्ताक्षर हल्का पटवारी
मोहर सहित

* "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर
में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे।

तहसीलदार

मोहर सहित